

प्रेषक,

रेणका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक: ०६ NOV DD-11-2019  
अक्टूबर, 2019

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत कराया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किए जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गयी नई पहल के अन्तर्गत राजकीय (जिनमें कक्षा 01 से 05 की कक्षायें मंचालित हों) व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में 'स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन' अर्थात् 'किचेन गार्डेन' को प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु रु0 5000/- प्रति विद्यालय की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

"मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेनू के अनुसार प्रति कार्य दिवस में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका-पकाया गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः निरीक्षण के समय यह देखा गया है कि विद्यालय के प्रांगण में अतिरिक्त भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत विद्यालयों में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिया जाना विद्यालय परिवार में मध्यान्ह भोजन हेतु हरी सब्जियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक कारगर प्रयास हो सकता है। विद्यालय में किचेन गार्डेन को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माध्यम से विद्यालय के अतिरिक्त भूमि पर क्यारी बनाकर हरी सब्जियां व फल/फूल को बोने/उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना एक सफल प्रयोग होगा।

## &gt; किचेन गार्डेन बनाने के उद्देश्य:-

- बच्चों को मौसमी सब्जियों की उपयोगिता व उसमें पाये जाने वाले पोषण तत्वों के बारे में जानकारी बढ़ाना, जिससे वह यह संदेश अपने परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचा सकें।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बनाये जा रहे भोजन में किचेन गार्डेन में उगायी गई सब्जियों को मिलाते हुये उसे और अधिक पोषक बनाना।
- छात्रों में मिल-जुल कर कार्य करने की भावना विकसित करना तथा मनोरंजन एवं व्यायाम के साथ-साथ स्वयं उगाये गये पौधों के प्रति स्वामित्व/जिम्मेदारी की भावना भी विकसित किया जाना।

अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना एवं वार्षिक रख-रखाव की कार्ययोजना निम्नवत् है:-

## &gt; जमीन/स्थान का चिन्हीकरण

- प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु विद्यालय में उपलब्ध जमीन का चिन्हीकरण कराया जायेगा। यदि जमीन की पैमाइश करानी है तो राजस्व विभाग अथवा स्थानीय लेखपाल से कराया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में उपयुक्त जमीन की उपलब्धता होती है, किन्तु शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में जमीन न होने की दशा में छतों/अन्य स्थान पर गमलों, मटके, बोरे, जूट के थैलों आदि में पौधे उगाने की व्यवस्था की जायेगी।

FC MDM

(ठिरनाम संस्करण)  
प्रधानाध्यापक  
प्राथमिक स्थान पर  
प्रधानाध्यापक संस्करण

Dinesh Kumar

7/11/19

- चिन्हित स्थान यथासम्भव खुला व पर्याप्त सूर्य की रोशनी की उपलब्धता वाला होना चाहिए। पौधों को कम से कम 05 घंटे धूप मिलनी चाहिए।
- चिन्हित स्थान बाउण्ड्रीवाल अथवा बाड़ (फैन्सिंग) आदि से सुरक्षित होना चाहिए।
- स्थान विद्यालय के प्रांगण अथवा निकटवर्ती होना चाहिए, जिससे अध्यापक/छात्र सुगमता से वहां कार्य कर सकें तथा पठन-पाठन कार्य में व्यवधान न हो।

- > किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव हेतु गतिविधियां
- प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के परिसर में पोषण वाटिका के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
  - प्रथम बार पोषण वाटिका बनाने में ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
  - उद्यान/वन विभाग से पोषण वाटिका में लगाने के लिए बीज व पौधों को आवश्यकतानुसार सशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।

- किचेन गार्डेन को सफलतापूर्वक विकसित किये जाने एवं सुरक्षित रख-रखाव हेतु समुदाय/मां समूह/अभिभावकों का सहयोग लिया जाना होगा।
- छात्रों के विभिन्न समूह तैयार कर प्रत्येक समूह द्वारा कतिपय पौधे/गमले आदि को अंगीकृत किया जायेगा तथा उन पौधों एवं गमलों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र समूह द्वारा ली जायेगी।
- अंगीकृत पौधों के पास छात्रों के नाम का बोर्ड भी लगाया जाए, जिससे उन्हें अपने हाथ से लगाये गये पौधों के प्रति अपनत्व का बोध हो।

- छात्र समूहों द्वारा अंगीकृत पौधों की गुणवत्ता के सापेक्ष छात्रों का उत्साहवर्द्धन किया जायेगा।
- छात्रों को प्रेरित किये जाने हेतु विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा/गोष्ठी, गतिविधियां आयोजित की जायेंगी, जिसमें साग-सब्जी/फल की विशेषता के बारे में बताकर उनके ज्ञान में वृद्धि की जायेगी।

- किचेन गार्डेन की स्थापना व रख-रखाव में छात्रों के सक्रिय योगदान/श्रमदान से न सिफ छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी, अपितु उनके क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- मौसम के अनुरूप उगाई गई सब्जियों की पैदावार के दृष्टिगत विभिन्न दिवस यथा - गोभी दिवस, टमाटर दिवस, बैंगन दिवस इत्यादि के नाम से मनाया जा सकता है।

> मॉडल स्टीमेट (वार्षिक आगणन)

- किचेन गार्डेन हेतु प्रति विद्यालय रु0 5000/- की वार्षिक धनराशि का निर्धारण किया गया है, जिससे किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव की कार्यवाही की जानी होगी।
- उक्त धनराशि का लेखा विवरण विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित किया जायेगा।

- उक्त धनराशि के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में किचेन गार्डेन की स्थापना तथा वार्षिक रख-रखाव हेतु पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट तैयार किये गये हैं। यह मॉडल स्टीमेट तैयार किये जाने हेतु दिनांक: 09 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें निकटवर्ती विद्यालयों के कतिपय छात्र, रसोइया, प्रधानाध्यापक, स्कीम आफीसर्स आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं किचेन गार्डेन के संबंध में अपना मंतव्य तथा कठिनाइयों के संबंध में विचार - विमर्श किया गया।

2- उक्त संस्थान द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने हेतु तैयार किये गये पृथक-पृथक मॉडल स्टीमेट निम्नवत् हैं:-

1. पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हेतु किचेन गार्डेन का मॉडल स्टीमेट (20 मी० x 10 मी०)

क्र० सं०.	व्यवस्थित किया जाना विवरण	मात्रा	दर	कुल व्यय
1	स्थाई व्यवस्थित किया जाना विवरण			
1.1	खाई (1/2 मी० चौड़ी X 01 मी० गहरी)	60 मी०	10	600
1.2	बाड़ (करींदा)	60 पौधे	10	600

1.3	बाड़ लगाने का खर्च (गड्ढा खोदना, भरना व पेड़ लगाना)	60	10	600
1.4	भूमि की तैयारी (जुताई व समतलीकरण)			500
1.5	आवश्यक उपकरण (फवड़ा, खुरपी, कुदाल, हजारा, बाल्टी)			1000
1.6	बगीचे का रेखांकन	01 आदमी	250	250
1.7	फल वाले पौधे	10	50	500
	योग			4050
2	अस्थाई व्यय			
2.1	सब्जियों वाले पौधे/ बीज (1000 पौधे प्रति मीजन)	-	3 मीजन	3000
2.2	खाद, कीट व फंकूद दवाएं	-	प्रति वर्ष	1000
	योग			4000
	कुल योग			8050

नोट: उक्त व्यय का वहन निर्धारित बजट ₹0 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फल/सब्जियों के बीज/पौधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रसंकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन की उपलब्धता न होने की स्थिति में किचेन गार्डेन का माडल स्टीमेट (10मी × 10 मी) 0

क्र० सं.	व्यय विवरण	मात्रा	दर	कुल व्यय
1	ग्रो वैग्स (सब्जियों हेतु) (01 घनफीट)	150	10	1500
2	ग्रो वैग्स (फल पौधों हेतु 02 घनफीट)	10	30	300
3	मिट्टी मिक्चर (65 घनफीट मिट्टी + 60 घनफीट बालू + 75 घनफीट गोबर की खाद)	(200 घनफीट)	20	4000
4	ग्रो वैग्स की भार्गा	160	2/वैग्स	320
5	कीट नाशक व फंकूद नाशक	-	-	500
6	आवश्यक उपकरण (खुरपी, हजारा, बाल्टी, मग)	-	-	1000
7	उर्वरक	-	-	
8	सब्जियों वाले पौधे/बीज (500 पौधे प्रति मीजन)	-	03 मीजन	1500
9	फल वाले पौधे	10	50	500
	कुल योग			10120

नोट: उक्त व्यय का वहन निर्धारित बजट ₹0 5000/- की धनराशि के अतिरिक्त वार्ड निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया जा सकता है तथा फल/सब्जियों के बीज/पौधे उद्यान विभाग/वन विभाग/खाद्य प्रसंकरण विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं।

- अन्य विभागों से कन्वर्जन्श
- योजनान्तर्गत निर्धारित धनराशि ₹0 5000/- के अतिरिक्त किचेन गार्डेन की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्री का वित्तपोषण यथा- ग्राम निधि से बीज/पौधों का भुगतान, वाटिका तैयार करके ससमय

आवश्यक मजदूरी का भुगतान आदि ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग द्वारा संबलित मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग द्वारा नियमानुसार किया जा सकता है।

- किचेन गार्डेन विकसित किए जाने हेतु अकुशल श्रमिक की व्यवस्था मनरेगा योजना से करायी जा सकती है। इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डेवलपमेन्ट प्लान (GPDP) में किचेन गार्डेन विकसित किये जाने का कार्य को समिलित किया जाये।
- राज्य सरकार की उद्यानीकरण/वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत भी किचेन गार्डेन को विकसित कराये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

> फलों/सब्जियों का चयन

- सब्जियों व फलों का चयन जलवायु परिस्थितयों तथा छात्रों की पसंद के अनुसार किया जाये।
- मेडों का उपयोग जड़ वाली फसल के लिए किया जाये।
- रास्ते के किनारे पत्ती वाली सब्जियों के लिए किया जाये।
- वाटिका के अंत में दो खाद के गड्ढों का निर्माण कर विद्यालय का जैविक कचरा खाद के लिए उपयोग किया जाये।

- प्रदेश की जलवायु परिस्थिति के अनुसार 03 सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियों का विवरण निम्नवत् है:-

जायद वाली फसल	खरीफ वाली फसल	रबी वाली फसल
भिन्डी	चौलाई	टमाटर
पालक	भिन्डी	मटर
लोबिया	बैंगन	मिर्च
लौकी	लोबिया	पत्ता गोभी
करेला	करेला	फूल गोभी
खीरा	तुरई	पालक, सरसों, मेथी, सोया, धनिया, बथुआ
कद्दू	अरबी	शिमला मिर्च
तरबूज	कद्दू	बैंगन
खरबूजा	लौकी	लैतुस
बैंगन	खरीफ प्याज	ब्रोकोली
चुकंदर	सेम	प्याज, लहसुन
शलजम	-	चुकंदर
गाजर, मूली	-	शलजम, गाजर, मूली

> नोडल अधिकारी

- किचेन गार्डेन को विकसित कराने एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र/वन विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

> जल की उपलब्धता

- किचेन गार्डेन के अन्तर्गत रोपित पौधों की नियमित सिंचाई स्थानीय फण्ड यथा- मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग से नियमानुसार करायी जा सकेगी।
- विद्यालय के छात्र समूहों, रसोइयों, स्थानीय समुदाय आदि को पेड़ों को नियमित रूप से जल दिये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।


➤ पौधों की सुरक्षा

- पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय परिसर की बाउण्ड्री वाल एवं गेट की व्यवस्था संचालित आपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जा सकती है।
- पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु फैन्सिंग, बायोफैन्सिंग आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसका वित्त पोषण निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त मनरेगा योजना/ग्राम निधि/14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग में भी किया जा सकता है।

➤ अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण

- किचेन गार्डेन स्थापित किये जाने की प्रगति का विवरण मासिक आधार पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप पृथक से जनपदों को प्रेपित किया जायेगा।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अन्य मदों की आंति किचेन गार्डेन का अनुश्रवण भी राज्य/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगा।

भवदीया,

  
(रेणुका कुमार)  
अपर मुख्य सचिव  
✓

संख्या-1472(1)/अडसठ -3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
- 2- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
- 3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0।
- 5- निदेशक, राज्य उपोष्ण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
- 6- निदेशक, बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 10- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा द्वारा

(देव प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।

> पौधों की सुरक्षा

- पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय परिसर की बाउण्ड्री वाल एवं गेट की व्यवस्था संचालित आपरेशन कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जा सकती है।

• पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु फैन्सिंग, बायोफैन्सिंग आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसका वित्त किया जा सकता है।

> अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण

- किचेन गार्डेन स्थापित किये जाने की प्रगति का विवरण मासिक आधार पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप पृथक से जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अन्य मदों की भाँति किचेन गार्डेन का अनुश्रवण भी राज्य/जनपद/विकाम खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स के माध्यम से किया जायेगा।

भवदीया,

( रेणुका कुमार )

अपर मुख्य सचिव

संख्या-1472(1)/अडसठ -3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र01।
- 2- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र01।
- 3- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र01।
- 4- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र01।
- 5- निदेशक, राज्य उपोष्ण एवं बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ। ✓
- 6- निदेशक, बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 10- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Dev Pratap Singh  
( देव प्रताप सिंह )

विशेष सचिव।